फाइल नं0-71-3002(001)/2/2021-03

85/2023/I/340107/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 28 जून, 2023**

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी हेतु केन्द्रांश की धनराशि एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 325.00 करोड़ की अधिकतम लागत स्वीकृत की गयी है। उक्त योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य व्यय अनुपात 60:40 होगा।

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/125, दिनॉक 24.05.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी हेतु भारत सरकार के पत्र दिनॉक 21.03.2023 द्वारा आवंटित केन्द्रांश की धनराशि (एस0सी0 एवं एस0टी0 कम्पोनेंट) के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल रू0 381.8389 करोड़ (रू0 341.8392 करोड़ निर्माण हेतु एवं रू0 39.9997 करोड़ उपकरण हेतु) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	मे0का0 का नाम	परियोजना की अनुमोदित लागत	शासनोश दिनांक	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश	अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि	
						24- निर्माण	26- उपकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजनौर	281.5197	27.03.2020, 13.09.2021, 03.02.2022 28.03.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+	66.67	28.4866	3.0769

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			29.03.2023	56.20= कुल 156.20			
2	कुशीनगर	281.4501	27.03.2020, 27.08.2021, 03.02.2022 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
3	सुल्तानपुर	270.9250	27.03.2020, 28.08.2021, 04.02.2022 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 56.99= कुल 156.99	66.67	28.4866	3.0769
4	गोण्डा	281.7010	27.03.2020, 21.09.2021, 03.02.2022 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
5	ललितपुर	287.5747	27.03.2020, 28.08.2021, 23.02.2022 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
6	लखीमपुर खीरी	288.7095	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 56.72= कुल 156.72	66.67	28.4866	3.0769
7	चंदौली	274.1833	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
8	बुलन्दशहर	269.4430	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00+	66.67	28.4866	3.0769

http://shasanadesh.up.nic.in

			29.03.2023	57.00= कुल 157.00			
9	सोनभद्र	249.9875	27.03.2020, 28.08.2021, 03.02.2022 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 30.00+ 08.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	00	3.0769
10	पीलीभीत	284.6080	27.03.2020, 27.09.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
11	औरैया	280.1657	27.03.2020, 28.08.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
12	कानपुर देहात	283.3756	27.03.2020, 28.08.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 56.43= कुल 156.43	66.67	28.4866	3.0769
13	कौशाम्बी	330.6280	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00= कुल 157.00	66.67	28.4866	3.0769
			कुल योग	2039.34	866.71	341.8392	39.9997

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु वांछित केन्द्रांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलैन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त 13 मेडिकल कालेजों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210037890101 (14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	4210037890101 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,52,09,00,000 (रुपये दो अरब बावन करोड़ नौ लाख मात्र)
2	083	4210037890101 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)
	कुल			**2,82,09,00,000** **(रुपये दो अरब बयासी करोड़ नौ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210037960101 (14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	4210037960101 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	24 वृहत् निर्माण कार्य	89,74,92,000 (रुपये नवासी करोड़ चौहत्तर लाख बयान्वे हजार मात्र)
2	081	4210037960101 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	9,99,97,000 (रुपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख सत्तानवे हजार मात्र)
	कुल			**99,74,89,000** **(रुपये निन्यानवे करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार मात्र)**

महायोग	3,81,83,89,000 (रुपये तीन अरब इक्यासी करोड़ तिरासी लाख नवासी हजार मात्र)

के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-52/दस-2023-24, दिनांक 27 जून, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/द्विनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।